न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 71/17

1. कजोड पुत्र श्योबक्स जाति बैरवा निवासी पादडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
तहसीलदार खण्डार लैण्ड होल्डर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार
मु0न0 17/09 निर्णय दिनांक 11.5.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की और से श्री रमेश गोयल
2. रेस्पोडेटान की और से राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28.1.20

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के मु0न0 17/09 निर्णय दिनांक 11.5.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/वादी ने एक वाद पत्र इस्तकरारहक हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम पादडा तहसील खण्डार का अनुसूचित जाति का सदस्य है। वादी आज से 4–5 वर्ष पूर्व जंगल मे सेन्च्यूरी वन विभाग के अन्दर बसे हुए गांव कठुली पादडा मे अन्य लोगो के साथ निवास करता था। लेकिन राज्य सरकार योजना व सेन्च्यूरी को बढावा देने के कारण वादी एवं अन्य लोगो से गांव खाली करवाकर वादी को गणेश नगर रावरा गांव के पास जंगल मे काश्त की जमीन देकर बसाया गया है। तथा इस गांव का नाम पादडा रखा है। आराजी ख0न0 64/244 मि0 मे वादी को 1.60 है0 भूमि आवंटित की है। उक्त भूमि वन विभाग की थी। लेकिन इसको रेवन्यू मे कन्वर्ट कर आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है वादी के भाई का भूखण्ड न0 27 आवंटित किया है तथा वादी को भी रेवेन्यू अधिकारियो प्रतिवादी न0 2 व पटवारी हल्का द्वारा भूखण्ड संख्या 26 पर कब्जा दिया है। जिससे दोनो भाई 26 व 27 को साथ साथ काश्त कर सके। वादी के उक्त प्लाट संख्या 26 पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा देने पर उबड खाबड जमीन को काबिल काश्त पैसा लगाकर व महनत कर बनाया है। तब से ही यानि 2004 से वादी भूखण्ड संख्या 26 को काश्त कर रहा है। लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने वादी को गलती से भूखण्ड न0 5 आवंटित कर दिया। जिसका वादी को पता नही था। गांव के लोग गुर्जर जाति के है उन्होने इस भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश की नियत से तहसीलदार से वादी को बेदखल कराकर कब्जा लेने की बदयान्ति से शिकायत कर दी है तहसीलदार ने धारा 91 मे तहसील नोटिस जारी किया तब वादी को दिनांक 16.9.07 को नोटिस मिलने पर

Scanned by CamScanner

जानकारी हुई। इस बाबत वादी द्वारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख0न0 64/244 मि0 मे वादी को भूखण्ड संख्या 5 का आवंटन किया उसको भूखण्ड संख्या 26 कर दिया जावे। क्योकि भूखण्ड क्षैत्रफल दोनो का बराबर है। तथा एक ही खसरा नम्बर मे दोनो भूखण्ड है। भूखण्ड संख्या 5 ऐसे स्थान पर है जहॉ बहुत ही गहरे नाले व पत्थर बबूल के गहरे वृक्ष है। जहॉ खेती होना संभव नही है। जिस पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जॉच रिपोर्ट मंगवाने पर तहसीलदार खण्डार ने जॉच के पश्चात दिनांक 14.7.08 को अपनी रिपोर्ट भिजवाई लेकिन आज तक इसके उपरान्त वादी/अपीलांट के कई बार मिलने पर भी प्रतिवादीगण ने काई कार्यवाही नही की। जबकि राज्य सरकार का नोटिफिकेशन है ऐसे आवंटन का परिवर्तन कर देना चाहिए। वादी अपना गांव कठुली छोडकर पादडा मे विस्थापित हुआ है तथा यहॉ पर भूखण्ड संख्या 5 बिलकुल काबिज काश्त नही होने से वादी काश्त नही कर सकता है। भूखण्ड संख्या 26 मे काफी पैसा लगा चुका है तथा बराबर के भूखण्ड एक ही खसरा न0 होने से वादी को अधिकार है कि वादी ख0न0 64/244 मिन 1.68 है0 का काश्तकार है घोषित करावे। तथा सरकारी भूखण्ड संख्या 5 के बजाय भूखण्ड संख्या 26 दुरूस्ती की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मीमो ऑफ अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी का मूल निवासी कठूली पादडा मे गेम सेन्च्यूरी मे था लेकिन कठूली पादडा गांव को गेम सेन्च्यूरी का दायरा बढाने व जानवरो के उत्थान के लिए कठूली गांव के लोगो को गेम सेन्च्यूरी से हटाकर ग्राम रावरा के सामने खाली सरकारी भूमि पर बसाने का राज्य सरकार ने निर्णय लेने के बाद ग्राम कठूली पादडा के लोगो के लिए मकान बनानें की आर्थिक सहायता व खेती हेतु भूमि आवंटन का निर्णय लेते हुए उक्त जंगलात की भूमि जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक प. 2(8)परि/राजस्व/75/4089–90 दिनांक 11.11.04 से ग्राम रावरा की जंगलात की भूमि ख0न0 64/244 जो बडा रकबा था को सिवायचक मे कन्वर्ट कर नामा0 संख्या 366 दिनांक 17.11.04 जमाबंदी मे दर्ज कर दिया। अपीलांट भी कठूली पादडा गांव के लोगो के साथ लिस्ट मे होने से अपीलांट को भी ख0न0 64/244 मे 1.60 है0 भूमि का आंवटन किया गया। अपीलांट के भाई को ख0न0 64/244 मे प्लाट न0 27 आवंटन हुआ। इसके पास स्थित प्लाट संख्या 26 का आवंटन बताते हुए रेस्पो0 ने अपीलार्थी को प्लाट न0 26 पर 1.60 है0 पर कब्जा दे दिया। उक्त भमि की सफाई कर ट्रेक्टर चलाकर बंजड भूमि को

Scanned by CamScanner

काफी रूपया लगाकर उपजाउ बनाया था तब से अपीलार्थी उक्त प्लाट न0 26 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इन तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 द्वारा प्लाट न0 26 पर कब्जा देकर भूलवंश प्लाट न0 5 का आवंटन रेवन्यू रिकार्ड मे बतला दिया। जबकि प्लाट न0 5 मे बडे बडे नाले उबड खाबड बडे बडे पत्थर पडे होने से अपीलार्थी के द्वारा सफाई कराना व समतल कराना अपनी क्षमता के बाहर है। अपीलार्थी को प्लाट न0 5 का आवंटन करना मतलब होगा गरीब व्यक्ति के बच्चो के साथ बहुत बडा अन्याय होगा। प्लाट न0 5 को कभी अपीलार्थी ने कभी काश्त नही किया है ना ही कब्जा लिया है अपीलार्थी को कब्जा प्लाट न0 26 पर दिया गया है प्लाट न0 26 पर कब्जा होने से रेस्पो0 न0 2 ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर नोटिस धारा 91 का दिया गया है। जब मालुम चला कि आवंटन अपीलार्थी को गलत कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलार्थी को प्लाट न0 5 के बजाय प्लाट न0 26 का आवंटन करते हुए अपीलार्थी को खातेदारी दिलवाई जावे जिस पर रेस्पो0 न0 1 ने तहसीलदार खण्डार से रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त भूमि को तहसीलदार द्वारा खाली बतलाकर तथा किसी सार्वजनिक उपयोग मे नही मानते हुए प्लाट न0 5 की बजाय प्लाट न0 26 की खातेदारी देकर रिकार्ड मे दुरूस्ती करने की सिफारिश दिनांक 14.7.08 को की गई लेकिन इसके बाद रेस्पो0 द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। इसके पश्चात ही वादी/अपीलाट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश कर किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड के अवलोकन किये ही निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि जंगलात की मानते हुए निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। जबकि जमाबंदी का अवलोकन किया जाता तो जंगलात से सिवायचक भूमि मे कन्वर्ट करने के बाद आवंटन किया गया है इसलिए वन विभाग को पक्षकार बनाना आवश्यक नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से पुनः दिनांक 11.5.17 को रिपोर्ट मांगी गई जिस पर तहसीलदार द्वारा उसी दिन दिनांक 11.5.17 को बिना जॉच किये ही रिपोर्ट भिजवाई गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योंग्य है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.87 को सक्यूर्लर जारी किया गया है कि वादि आवंटन अन्य नम्बर का कर दिया है तथा कब्जा अन्य जगह पर दिया गया है तो रेवन्यू रिकार्ड मे कब्जे के खसरा न0 पर दुरूस्ती की जावे। जिस का भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नही किया है। प्लाट न0 5 व प्लाट न0 26 दोनो का क्षेत्रफल 1.60 है0 बराबर है इसलिए दुरूस्ती करने मे किसी प्रकार का व्यवधान नही है। अतःअपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन रहा कि ग्राम रावरा मे अपीलांट कजोड पुत्र श्योबक्श बैरवा निवासी पादडा विस्थापित को ख0न0 64/244 मे प्लाट न0 5 रकबा 1.60 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 26.11.04 को हुआ था जिस पर मौके पर कब्जा दिया जाकर

Scanned by CamScanner

नामा0 संख्या 374 दिनांक 31.5.05 को तस्दीक हो चुका है। जिसका राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार दर्ज हो चुका है। अपीलांट द्वारा आवंटन शुदा भूमि ख0न0 64/244 प्लाट न0 5 को नाकाबिल बताते हुए स्वेच्छा से ख0न0 26 पर कब्जा कर काश्त की है। जिसके विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट की जाकर मौके से बेदखल कर शास्ति कायम की गई थी। अपीलांट द्वारा प्लाट न0 26 को एक्सचेज के लिए जो प्रार्थना की गई है वह भूमि विवादित भूमि है। उक्त भूमि प्लाट न0 26 को ग्रामवासी मंदिर के नाम आवंटन कराना चाहते है। अपीलांट द्वारा बिना किसी अनुमति के स्वेच्छा से प्लाट न0 26 पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को उक्त प्लाट न0 26 के बाबत आवंटन के समय ही वन विभाग के समक्ष पक्ष रखकर अनुत्तोष प्राप्त करना चाहिए था। अपीलांट को सिवायचक भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे दुरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के परिपेक्ष्य मे विधि अनुरूप खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी व पैरोकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 64/244 में प्लाट नम्बर 5 रकबा 1.60 हैक्टर आवंटित किया गया था। नामान्तरकरण सं0 374 दिनांक 31.05.2005 से अपीलांट को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया जा चुका है, अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्लाट नम्बर 26 जो सिवायचक भूमि का भाग है, कब्जा काश्त कर लिया गया है। यह अविधिक है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा राज्य सरकार का समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित पत्रांक प.6(33)राज/4/87/26 दिनांक 20.11.87 पेश किया है जिसमें किंचित प्रकरणो में जिला कलक्टर को कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है जिसका न्यायालय हाजा से कोई संबंध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय समस्त तथ्यों को विविचित व विश्लेषण करने के उपरान्त पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के मु0न0 17/09 निर्णय दिनांक 11.5.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28.1.20

(बी0एल0रैगर)
राजस्व अपील प्राधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 16:49:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: